



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

कल्याण सिंह की शिक्षा नीति: भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक विश्लेषण

सक्षम कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)।

ईमेल: kumarsaksham723@gmail.com

प्रोफेसर (डॉ०) मनमीत कौर

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (उ०प्र०)।

शोध सार

यह शोध-पत्र उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991–1992 के दौरान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति का भारतीय ज्ञान प्रणाली (Indian Knowledge System–IKS), शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण तथा समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि तत्कालीन शिक्षा सुधार केवल परीक्षा व्यवस्था में नकल पर नियंत्रण तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनका व्यापक लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक शुचिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, सांस्कृतिक आत्मबोध तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन के माध्यम से शिक्षा के चरित्र का पुनर्निर्माण करना था। शोध में नकल विरोधी अधिनियम, 1992, 'गौरव गाथा' योजना, संस्कृत एवं हिंदी के प्रोत्साहन, पाठ्यक्रम के भारतीयकरण तथा राज्य की शिक्षा संबंधी वैचारिक स्वायत्तता का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। गुणात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाहियों, सरकारी अभिलेखों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समकालीन पुस्तकों तथा प्रमाणिक समाचार स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह की शिक्षा नीति ने प्रशासनिक पारदर्शिता, योग्यता-आधारित परीक्षा प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन तथा मातृभाषा-आधारित शिक्षा जैसे उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि इन सुधारों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा के विऔपनिवेशीकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सुशासन के समन्वित प्रयास के रूप में समझा जाना चाहिए।

बीज शब्द

कल्याण सिंह, शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण, नकल विरोधी अधिनियम 1992, गौरव गाथा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा आधारित शिक्षा



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भूमिका

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास की आधारशिला होती है। यह केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास की सतत प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शिक्षा प्रणाली कितनी पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी तथा मूल्यपरक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा के सार्वभौमिक विस्तार की दिशा में अनेक प्रयास किए गए, किन्तु लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक विरासत, परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण, गुणवत्ताहीन शिक्षण तथा प्रशासनिक शिथिलता जैसी समस्याओं से प्रभावित रही। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 1990 के दशक के प्रारम्भ तक शिक्षा व्यवस्था अनेक संस्थागत चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिनका प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता, सामाजिक विश्वास तथा सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वर्ष 1990–1992 का कालखंड उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल के रूप में देखा जाता है। इस अवधि में सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर नकल, शिक्षा संस्थानों का राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा प्रणाली की कमजोर निगरानी तथा शैक्षणिक मूल्यों के हास ने शिक्षा की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। नकल केवल व्यक्तिगत अनुचित आचरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि अनेक स्थानों पर संगठित नेटवर्क का स्वरूप धारण कर चुकी थी। परिणामस्वरूप मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुई तथा राज्य की परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर व्यापक प्रश्नचिह्न खड़े हुए। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी बन गई थी। इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1991 में मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल प्रारम्भ हुआ। उनका दृष्टिकोण शिक्षा को केवल साक्षरता अथवा रोजगार प्राप्ति का माध्यम मानने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे इसे राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण तथा सांस्कृतिक चेतना के विकास का प्रमुख साधन मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए जो ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति भी जागरूक हों। यही कारण था कि उनके शासनकाल में शिक्षा सुधारों को प्रशासनिक अनुशासन तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण के समन्वित कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया। कल्याण सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992** इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने परीक्षा प्रणाली में नकल को पहली बार कठोर कानूनी दायरे में लाकर प्रशासनिक शुचिता स्थापित करने का प्रयास किया। इस कानून का उद्देश्य केवल परीक्षाओं में अनुशासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि योग्यता-आधारित शिक्षा व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना तथा समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास को पुनर्जीवित करना भी था। परीक्षा परिणामों में आए उल्लेखनीय परिवर्तन ने यह संकेत दिया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को मात्र उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत से अधिक महत्व देने की दिशा में अग्रसर थी। प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ कल्याण सिंह सरकार ने शिक्षा के वैचारिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को भी समान महत्व दिया। पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास, भारतीय महापुरुषों तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को समुचित स्थान देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों की गई। 'गौरव गाथा' जैसी योजनाओं के माध्यम से इतिहास लेखन में भारतीय दृष्टिकोण को महत्व देने, संस्कृत एवं हिंदी के



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

अध्ययन को प्रोत्साहित करने तथा विद्यार्थियों में सांस्कृतिक आत्मगौरव विकसित करने का प्रयास किया गया। इन सुधारों का मूल उद्देश्य शिक्षा को भारतीय समाज की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वास्तविकताओं से जोड़ना था, ताकि विद्यार्थी आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ अपनी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत को भी समझ सकें। समकालीन परिप्रेक्ष्य में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली, मातृभाषा में शिक्षण, बहुविषयक शिक्षा, मूल्यपरक शिक्षण तथा शिक्षा के भारतीयकरण पर विशेष बल देती है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है कि क्या इन विचारों की प्रारम्भिक अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती राज्य स्तरीय शिक्षा सुधारों में दिखाई देती है। कल्याण सिंह की शिक्षा नीति इस दृष्टि से अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाती है, क्योंकि उनके शासनकाल में लागू अनेक नीतिगत उपाय वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक सिद्धांतों से वैचारिक समानता रखते हैं। यद्यपि दोनों की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ एवं नीतिगत संदर्भ भिन्न हैं, तथापि प्रशासनिक पारदर्शिता, भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा तथा सांस्कृतिक आत्मबोध जैसे आयाम तुलनात्मक अध्ययन की पर्याप्त संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का ऐतिहासिक, प्रशासनिक तथा वैचारिक विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि तत्कालीन शिक्षा सुधारों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, प्रशासनिक सुशासन, भारतीय ज्ञान प्रणाली के पुनर्स्थापन तथा शिक्षा के सांस्कृतिक आयामों को किस प्रकार प्रभावित किया। साथ ही यह भी विश्लेषित किया गया है कि इन सुधारों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांतों से किस सीमा तक वैचारिक एवं नीतिगत साम्य स्थापित होता है। इस प्रकार यह शोध-पत्र शिक्षा नीति को केवल राजनीतिक विमर्श के रूप में न देखकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास, शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण तथा प्रशासनिक सुधारों के व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है।

शोध-अंतराल

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह की शिक्षा नीति (1991–1992) का प्रशासनिक, वैचारिक एवं शैक्षिक दृष्टि से समग्र विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है। विशेषतः भारतीय ज्ञान प्रणाली, शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इस विषय पर पर्याप्त अकादमिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

अध्ययन की मौलिकता

प्रस्तुत शोध कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का ऐतिहासिक, प्रशासनिक एवं वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए इसे भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकित करता है। इस प्रकार यह अध्ययन उपलब्ध साहित्य में विद्यमान शोध-अंतराल की पूर्ति करने का प्रयास करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था

1990 के दशक के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत चुनौतियों का सामना कर रही थी। सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर नकल, परीक्षा केंद्रों पर कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता ने विद्यालयी शिक्षा की विश्वसनीयता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप राज्य की परीक्षा प्रणाली पर जनविश्वास निरंतर कमजोर होता गया तथा योग्यता-आधारित मूल्यांकन की अवधारणा संकटग्रस्त हो गई। उस समय नकल



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

केवल व्यक्तिगत अनुचित आचरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनेक क्षेत्रों में यह संगठित नेटवर्क का रूप ले चुकी थी। सामूहिक नकल, परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक उदासीनता के कारण मेधावी विद्यार्थियों के हित प्रभावित हो रहे थे। इससे उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं एवं प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक चुनौतियों के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था वैचारिक स्तर पर भी आलोचना का विषय थी। स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी विद्यालयी पाठ्यक्रम पर औपनिवेशिक शिक्षा मॉडल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। भारतीय इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं तथा सांस्कृतिक विरासत को अपेक्षित स्थान न मिलने के कारण शिक्षा और भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान के मध्य एक दूरी अनुभव की जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा के भारतीयकरण तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 1991 में मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह के नेतृत्व में शिक्षा सुधारों की एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता या रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, प्रशासनिक शुचिता, राष्ट्रीय चेतना तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के माध्यम से उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करना था। यही दृष्टिकोण आगे चलकर नकल विरोधी अधिनियम, पाठ्यक्रम सुधार तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली से संबंधित पहलों का आधार बना।

प्रशासनिक शुचिता और नकल विरोधी अधिनियम, 1992

वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में गठित सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया। उस समय राज्य की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली व्यापक स्तर पर नकल, परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप तथा प्रशासनिक शिथिलता जैसी गंभीर समस्याओं से प्रभावित थी। इन परिस्थितियों में तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों की पहल की। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 लागू किया गया, जिसने नकल को पहली बार कठोर दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध के रूप में परिभाषित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों के प्रयोग, नकल कराने वाले व्यक्तियों तथा संगठित नकल गिरोहों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। सरकार का तर्क था कि शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और योग्यता की स्थापना तभी संभव है जब परीक्षा प्रणाली को भयमुक्त एवं निष्पक्ष बनाया जाए। इस नीति का उद्देश्य केवल नकल रोकना नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जनविश्वास की पुनर्स्थापना भी था। अधिनियम के लागू होने के बाद वर्ष 1992 के बोर्ड परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दिया और हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत घटकर लगभग 14.7 प्रतिशत रह गया। इस परिणाम को तत्कालीन सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का दर्पण बताते हुए इसे गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकन की दिशा में आवश्यक संक्रमण माना। सरकार के अनुसार उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत की अपेक्षा निष्पक्ष एवं विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली अधिक महत्वपूर्ण थी। हालाँकि, इस निर्णय का व्यापक राजनीतिक एवं सामाजिक विरोध भी हुआ। विपक्षी दलों, कुछ शिक्षक संगठनों तथा छात्र संगठनों ने सरकार पर अत्यधिक कठोर नीति अपनाने, विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ाने तथा शिक्षा व्यवस्था में दमनकारी दृष्टिकोण अपनाने के आरोप लगाए। कई स्थानों पर छात्र प्रदर्शन हुए तथा अधिनियम



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

को वापस लेने की मांग भी उठी। दूसरी ओर सरकार ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षा में नैतिकता एवं योग्यता को पुनर्स्थापित करना है तो अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर कठोर निर्णय लेना आवश्यक है।

समकालीन स्रोतों के अनुसार तत्कालीन शिक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने बाद के वर्षों में भी इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार बताया तथा कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने व्यापक राजनीतिक विरोध के बावजूद इस निर्णय से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह भी उल्लेख मिलता है कि कल्याण सिंह का मानना था कि यदि सत्ता और विद्यार्थियों के भविष्य में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वे विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता देंगे। यह दृष्टिकोण उनके शिक्षा-सुधार संबंधी राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक दृढ़ता को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार नकल विरोधी अधिनियम, 1992 केवल परीक्षा सुधार का विधिक उपाय नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में **प्रशासनिक शुचिता, सुशासन, योग्यता-आधारित मूल्यांकन तथा संस्थागत उत्तरदायित्व** स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप था। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा नीति के संदर्भ में इसे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली शिक्षा सुधारों में से एक माना जाता है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) एवं पाठ्यक्रम का भारतीयकरण

कल्याण सिंह सरकार की शिक्षा नीति केवल परीक्षा सुधारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार का पुनर्निर्माण भी था। सरकार का मानना था कि औपनिवेशिक काल में निर्मित शिक्षा व्यवस्था ने भारतीय इतिहास, ज्ञान परंपरा, भाषाओं तथा सांस्कृतिक विरासत को अपेक्षित स्थान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में अपनी सभ्यता एवं बौद्धिक परंपरा के प्रति आत्मविश्वास का हास हुआ। इसी कारण शिक्षा को भारतीय समाज की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चेतना से पुनः जोड़ने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रम में '**गौरव गाथा**' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस पहल का उद्देश्य इतिहास शिक्षण को भारतीय दृष्टिकोण से पुनर्संतुलित करना था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल औपनिवेशिक व्याख्याओं तक सीमित रखने के बजाय भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों एवं घटनाओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया, जिन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह तथा अन्य भारतीय विभूतियों के योगदान को अधिक प्रमुखता दी गई, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आत्मगौरव एवं ऐतिहासिक चेतना का विकास हो सके। इतिहास के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा (Indian Knowledge System) को भी शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। सरकार का दृष्टिकोण था कि भारत की वैज्ञानिक, गणितीय, दार्शनिक एवं चिकित्सकीय परंपराएँ विश्व की प्राचीनतम ज्ञान-संपदाओं में सम्मिलित हैं, किन्तु औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था में इन्हें अपेक्षित महत्व नहीं मिला। इसलिए आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, सुश्रुत, चरक तथा अन्य भारतीय विद्वानों के योगदान को विद्यार्थियों तक पहुँचाने पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य अतीत का महिमामंडन नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐतिहासिक योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराना था।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

भाषा नीति भी इस शिक्षा-दर्शन का महत्वपूर्ण आधार थी। कल्याण सिंह का मत था कि मातृभाषा तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, सांस्कृतिक समझ एवं सामाजिक जुड़ाव को अधिक प्रभावी बनाती है। इसी दृष्टिकोण से संस्कृत को विशेष महत्व दिया गया। सरकार ने संस्कृत को केवल धार्मिक भाषा के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, साहित्य, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान तथा शास्त्रीय ज्ञान की मूल भाषा के रूप में देखा। संस्कृत के अध्ययन को भारतीय ज्ञान परंपरा तक पहुँच का माध्यम माना गया। इसी प्रकार हिंदी को प्रशासन, शिक्षा तथा सामाजिक संवाद की प्रमुख भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया गया। विधानसभा में अपने विभिन्न वक्तव्यों में कल्याण सिंह ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक सहभागिता तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम बताया। उनका तर्क था कि जब तक शिक्षा की भाषा विद्यार्थियों के जीवनानुभवों एवं सामाजिक परिवेश से जुड़ी नहीं होगी, तब तक शिक्षा का लोकतंत्रीकरण पूर्णतः संभव नहीं होगा। इस दृष्टिकोण में भाषा को केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान एवं ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का माध्यम माना गया।

हालाँकि, इन सुधारों पर व्यापक वैचारिक बहस भी हुई। कुछ शिक्षाविदों एवं राजनीतिक दलों ने पाठ्यक्रम में किए गए परिवर्तनों को शिक्षा के 'भगवाकरण' के रूप में देखा तथा आरोप लगाया कि इतिहास को वैचारिक दृष्टिकोण से पुनर्लिखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विपरीत सरकार एवं समर्थक विद्वानों का मत था कि यह प्रक्रिया किसी विशेष विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास एवं ज्ञान परंपरा को उनके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित करने की पहल थी। उनके अनुसार यदि यूरोपीय पुनर्जागरण, यूनानी दर्शन या पाश्चात्य वैज्ञानिकों का अध्ययन शिक्षा का सामान्य अंग हो सकता है, तो भारतीय विद्वानों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश भी समान रूप से शैक्षणिक दृष्टि से उचित है। समकालीन दृष्टि से देखा जाए तो इन सुधारों के अनेक तत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी परिलक्षित होते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेशन, मातृभाषा में शिक्षण, भारतीय भाषाओं का संवर्धन तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख आधार हैं। यद्यपि दोनों नीतियों का ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक संदर्भ भिन्न है, तथापि यह कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए अनेक वैचारिक विमर्श बाद के राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों में व्यापक रूप से विकसित हुए।

राज्य की भूमिका, शैक्षिक दर्शन एवं समकालीन प्रासंगिकता

कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का आधार केवल प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि शिक्षा को भारतीय समाज के सांस्कृतिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के साधन के रूप में विकसित करने की व्यापक अवधारणा थी। उनका मानना था कि यदि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा रोजगार प्राप्त करने का माध्यम बनकर रह जाएगी, तो वह राष्ट्र निर्माण के अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए उन्होंने शिक्षा में अनुशासन, गुणवत्ता, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व को समान महत्व दिया। यह दृष्टिकोण उनके सार्वजनिक भाषणों तथा विधानसभा की कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कल्याण सिंह स्वयं शिक्षक रहे थे और विद्यालयी शिक्षा की व्यावहारिक समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित थे। उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा कि एक शिक्षक के रूप में उन्होंने देखा कि संगठित नकल तथा राजनीतिक हस्तक्षेप



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

के कारण ईमानदार एवं मेधावी विद्यार्थियों का मनोबल निरंतर कमजोर हो रहा था। यही अनुभव आगे चलकर उनकी शिक्षा नीति का आधार बना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षा को शासन के सामान्य विभाग के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण के मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी संभव है जब नीति-निर्माण का आधार राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का दीर्घकालिक हित हो।

कल्याण सिंह का एक महत्वपूर्ण विचार **दोहरी शिक्षा व्यवस्था (Dual Education System)** के विरोध से भी जुड़ा था। उनका मत था कि एक ओर उच्च संसाधनों वाले अंग्रेजी माध्यम एवं निजी विद्यालय तथा दूसरी ओर संसाधनों के अभाव से जूझते सरकारी विद्यालय सामाजिक असमानता को बढ़ा रहे हैं। वे इसे केवल शैक्षिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न मानते थे। उनका तर्क था कि जब तक सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार नहीं होगा, तब तक समान अवसर (Equality of Opportunity) की संवैधानिक अवधारणा व्यवहार में पूर्णतः लागू नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्होंने सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारतीय भाषाओं तथा संस्कार-आधारित शिक्षण को सुदृढ़ करने पर बल दिया। राज्य की भूमिका के संबंध में कल्याण सिंह का दृष्टिकोण भी उल्लेखनीय था। उनका मानना था कि शिक्षा नीति का निर्धारण केवल केंद्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय इतिहास तथा स्थानीय भाषाओं को शिक्षा नीति में अधिक स्थान देने का समर्थन किया। यह विचार भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की नीतिगत स्वायत्तता (Policy Autonomy) की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ था। उनके अनुसार शिक्षा का भारतीयकरण तभी प्रभावी होगा जब राज्य अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक कार्यक्रम विकसित कर सकें। यद्यपि इन सुधारों को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ, किन्तु इनकी आलोचना भी हुई। कुछ शिक्षाविदों एवं राजनीतिक दलों ने पाठ्यक्रम में भारतीय इतिहास, संस्कृत तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ते महत्व को "**शिक्षा का भगवाकरण**" कहा। आलोचकों का मत था कि शिक्षा को वैचारिक रूप से तटस्थ रहना चाहिए तथा किसी विशेष सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर सरकार एवं समर्थक विद्वानों ने इन आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय इतिहास, भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय दार्शनिकों तथा भारतीय भाषाओं को उचित स्थान देना किसी विचारधारा का आरोपण नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न असंतुलन को दूर करने का प्रयास है। उन्होंने इसे **भारतीयकरण (Indianization)** और **शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण (Educational Decolonization)** की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया।

समकालीन संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनेक प्रावधान—जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेश, मातृभाषा आधारित शिक्षण, भारतीय भाषाओं का संरक्षण, मूल्यपरक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान परंपराओं का सम्मान—उन विचारों के साथ वैचारिक समानता प्रदर्शित करते हैं जिन्हें कल्याण सिंह सरकार ने तीन दशक पूर्व उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया था। यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्णतः उसी नीति का विस्तार है, क्योंकि दोनों की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, प्रशासनिक संरचनाएँ तथा नीति-निर्माण की प्रक्रिया भिन्न थीं; तथापि यह अवश्य



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

कहा जा सकता है कि शिक्षा के भारतीयकरण, सांस्कृतिक आत्मबोध तथा प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे अनेक सिद्धांत दोनों नीतियों में समान रूप से विद्यमान हैं। इस प्रकार कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसका व्यापक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसने शिक्षा को प्रशासनिक सुधार, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा सुशासन के समन्वित मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा नीति के अध्ययन में यह कालखंड भारतीय शिक्षा के संक्रमणकाल (Transformative Phase) के रूप में विशेष महत्व रखता है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण

किसी भी शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल उसके घोषित उद्देश्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव, प्रशासनिक परिणाम, वैचारिक आधार तथा दीर्घकालिक प्रासंगिकता के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से कल्याण सिंह की शिक्षा नीति (1991–1992) भारतीय शिक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में उभरती है। एक ओर इस नीति ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक आत्मबोध तथा मातृभाषा आधारित शिक्षा को भी नीति विमर्श के केंद्र में लाया। शिक्षा सुधारों का सबसे अधिक विवादास्पद पक्ष पाठ्यक्रम के भारतीयकरण तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली के समावेशन को लेकर रहा। अनेक शिक्षाविदों एवं विपक्षी दलों ने इन प्रयासों को "शिक्षा का भगवाकरण" बताते हुए आरोप लगाया कि इतिहास तथा संस्कृति की व्याख्या में वैचारिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था को किसी विशेष सांस्कृतिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का निर्माण पूर्णतः अकादमिक निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए।

इसके विपरीत, सरकार तथा अनेक विद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय इतिहास, भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय दार्शनिकों तथा भारतीय भाषाओं को शिक्षा में समुचित स्थान देना किसी विचारधारा का आरोपण नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न असंतुलन का परिमार्जन है। यदि यूरोप, यूनान अथवा पश्चिमी वैज्ञानिक परंपरा का अध्ययन शिक्षा का स्वाभाविक अंग माना जाता है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को समान स्थान देना भी अकादमिक दृष्टि से उचित है। इस प्रकार समर्थक पक्ष ने इन सुधारों को **भारतीयकरण (Indianization)** एवं **शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण (Educational Decolonization)** की प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित किया। इसी प्रकार नकल विरोधी अधिनियम, 1992 को लेकर भी मतभेद देखने को मिले। अधिनियम लागू होने के पश्चात हाईस्कूल परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग **14.7 प्रतिशत** रह गया, जिसके कारण तत्कालीन सरकार की व्यापक आलोचना हुई। विपक्षी दलों, छात्र संगठनों तथा कुछ सामाजिक समूहों ने इसे अत्यधिक कठोर एवं छात्र-विरोधी नीति बताया। दूसरी ओर सरकार का स्पष्ट मत था कि परीक्षा परिणामों में गिरावट शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर करती है तथा गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकन स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कठिनाइयाँ स्वीकार करना आवश्यक है। इस दृष्टि से यह अधिनियम शिक्षा में प्रशासनिक शुचिता एवं योग्यता की पुनर्स्थापना का प्रयास माना गया। यदि इन सुधारों की तुलना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** से की जाए, तो अनेक वैचारिक समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान प्रणाली के समावेशन, मातृभाषा में प्रारम्भिक



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

शिक्षा, भारतीय भाषाओं के संवर्धन, मूल्यपरक शिक्षा तथा शिक्षा के भारतीयकरण पर विशेष बल देती है। दूसरी ओर कल्याण सिंह सरकार ने तीन दशक पूर्व उत्तर प्रदेश में संस्कृत, हिंदी, भारतीय इतिहास, गौरव गाथा तथा प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे विषयों को शिक्षा सुधार का अभिन्न अंग बनाया था। यद्यपि दोनों नीतियों का दायरा एवं ऐतिहासिक संदर्भ भिन्न है, तथापि उनके अनेक मूलभूत सिद्धांतों में उल्लेखनीय वैचारिक साम्य विद्यमान है। फिर भी यह कहना अकादमिक दृष्टि से उचित नहीं होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्णतः कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का विस्तार है। दोनों नीतियाँ भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में निर्मित हुईं तथा उनके उद्देश्य एवं कार्यान्वयन की संरचना भी अलग है। तथापि यह अवश्य कहा जा सकता है कि शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक आत्मबोध, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा मातृभाषा के महत्व जैसे अनेक विचार दोनों नीतियों के बीच वैचारिक निरंतरता (Ideological Continuity) का संकेत देते हैं। समग्रतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कल्याण सिंह की शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल तत्कालीन राजनीतिक विवादों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसकी ऐतिहासिक भूमिका इस तथ्य में निहित है कि इसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक अनुशासन, योग्यता-आधारित परीक्षा प्रणाली तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन जैसे विषयों को नीति-निर्माण के केंद्र में स्थापित किया। यही कारण है कि भारतीय शिक्षा के समकालीन विमर्श में यह नीति एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में अध्ययन की अपेक्षा रखती है।

निष्कर्ष

कल्याण सिंह की शिक्षा नीति (1991–1992) का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि यह केवल कुछ प्रशासनिक निर्णयों का समूह नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का एक व्यापक प्रयास थी। उस समय राज्य की परीक्षा प्रणाली संगठित नकल, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक शिथिलता तथा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही थी। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एवं तत्कालीन शिक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने शिक्षा सुधार को सरकार की प्राथमिकता बनाया और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, उत्तरदायी तथा योग्यता-आधारित बनाने के उद्देश्य से अनेक नीतिगत निर्णय लागू किए। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992** भारतीय शिक्षा इतिहास के सबसे कठोर परीक्षा सुधारों में से एक था। अधिनियम लागू होने के बाद परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय गिरावट आई तथा हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग **14.7 प्रतिशत** रह गया। इस स्थिति ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया। विपक्षी दलों, छात्र संगठनों तथा कुछ शिक्षक संगठनों ने सरकार पर छात्रों के हितों की उपेक्षा, अत्यधिक कठोरता तथा शिक्षा में दमनकारी दृष्टिकोण अपनाने के आरोप लगाए। दूसरी ओर सरकार का मत था कि यदि नकल पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो योग्यता, गुणवत्ता तथा शिक्षा की विश्वसनीयता कभी स्थापित नहीं हो सकेगी। यह विवाद वस्तुतः शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा की निष्पक्षता के मध्य संतुलन स्थापित करने की चुनौती को भी अभिव्यक्त करता है। शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह सरकार ने शिक्षा सुधार को केवल परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रखा। **'गौरव गाथा'**, भारतीय इतिहास के पुनर्पाठ, संस्कृत एवं हिंदी के संवर्धन तथा भारतीय वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों के योगदान को पाठ्यक्रम में स्थान देने जैसे प्रयासों के माध्यम से शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक आत्मबोध से जोड़ने का



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

प्रयास किया गया। इन पहलों का उद्देश्य सरकार के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना तथा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आत्मविश्वास एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास करना था।

यद्यपि इन नीतियों को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, तथापि इनके संबंध में गंभीर वैचारिक मतभेद भी सामने आए। अनेक शिक्षाविदों एवं विपक्षी दलों ने पाठ्यक्रम परिवर्तन को 'शिक्षा का भगवाकरण' बताया तथा इतिहास की वैचारिक पुनर्व्याख्या का आरोप लगाया। इसके विपरीत समर्थक पक्ष ने यह तर्क दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय इतिहास एवं भारतीय भाषाओं को समुचित स्थान देना किसी विचारधारा का आरोपण नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा के **विऔपनिवेशीकरण (Educational Decolonization)** की आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल राजनीतिक विमर्श के आधार पर नहीं, बल्कि उसके शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक प्रभावों के समग्र विश्लेषण के आधार पर किया जाना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से यह अध्ययन यह संकेत करता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली, मातृभाषा आधारित शिक्षण, भारतीय भाषाओं के संवर्धन, मूल्यपरक शिक्षा तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर दिया गया बल, उन अनेक विचारों से वैचारिक समानता रखता है जिन्हें कल्याण सिंह सरकार ने 1991–1992 के दौरान उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया था। यद्यपि दोनों नीतियों का दायरा, समय, प्रशासनिक संरचना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अलग-अलग है, फिर भी भारतीयकरण, सांस्कृतिक आत्मबोध तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में दोनों के बीच वैचारिक निरंतरता स्पष्ट दिखाई देती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कल्याण सिंह की शिक्षा नीति को केवल तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय शिक्षा के विकासक्रम में **प्रशासनिक शुचिता, परीक्षा सुधार, भारतीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक पुनर्जागरण तथा शैक्षिक विऔपनिवेशीकरण** के एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में भी समझा जाना चाहिए। इस नीति ने शिक्षा के संबंध में ऐसे विमर्शों को जन्म दिया, जो आज भी भारतीय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम सुधार तथा ज्ञान-परंपरा पर चल रही राष्ट्रीय बहसों में प्रासंगिक बने हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उत्तर प्रदेश शासन. (1992). *उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992* (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 1992). विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश असाधारण गजटा।
2. उत्तर प्रदेश विधानसभा. (30 जुलाई, 1991). *मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का विधानसभा में प्रथम नीतिगत संबोधन*. दशम विधानसभा कार्यवाही, खंड 120, संख्या 1–10।
3. उत्तर प्रदेश विधानसभा. (1992). *महादेवी वर्मा एवं अन्य विभूतियों के प्रति शोक संवेदना एवं श्रद्धासुमन*. विधानसभा कार्यवाही अभिलेख।
4. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश. (1992). *हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम सांख्यिकी विवरण (वर्ष 1991 एवं 1992 का तुलनात्मक डेटा)*. प्रयागराज बोर्ड रिकॉर्ड्स।



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

5. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020). भारत सरकार।
6. जाफ़ेलो, सी. (2003). द हिन्दू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स (The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics). पेंगुइन बुक्स।
7. लॉल, एम. (2005). द स्टेट, करिकुलम एंड नेशनल आइडेंटिटी इन इंडिया (The State, Curriculum and National Identity in India). रूटलेज।
8. प्रकाश, ए. (2022). लखनऊ टू लुटियंस: द पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ़ उत्तर प्रदेश (Lucknow to Lutyens: The Power and Politics of Uttar Pradesh). हार्पर कॉलिन्स इंडिया।
9. स्वरूप, ए. (2019). नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट (Not Just a Civil Servant). यूनिवर्स बुक्स।
10. यादव, एस. (2021). एट द हार्ट ऑफ़ पावर: द चीफ़ मिनिस्टर्स ऑफ़ उत्तर प्रदेश (At the Heart of Power: The Chief Ministers of Uttar Pradesh).
11. एनआई न्यूज़. (23 अगस्त, 2021). राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह द्वारा लागू नकल विरोधी अधिनियम को याद किया (Official Video/Text Archive).
12. स्वराज्य. (22 अगस्त, 2021). Kalyan Singh's Educational Legacy: The 1992 Anti-Copying Act.
13. एनडीटीवी इंडिया. (21 अगस्त, 2021). कल्याण सिंह का वह फैसला जिससे 1992 में यूपी बोर्ड का रिजल्ट 14.7 प्रतिशत रह गया था.
14. जी न्यूज़. (22 अगस्त, 2021). Kalyan Singh: The CM Who Turned 'Cheating' into a Non-Bailable Offence.
15. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया. (22 अगस्त, 2021). Kalyan Singh: A Leader Who Stood by His 'Anti-Copying' Decision Despite Political Risks.
16. हिन्दुस्तान टाइम्स. (21 अगस्त, 2021). How Kalyan Singh Cleaned Up UP's Education System in the Early 90s.
17. लाइव हिन्दुस्तान. (अगस्त, 2021). कल्याण सिंह और गौरव गाथा: जब बदला गया था यूपी का इतिहास पाठ्यक्रम.
18. द इंडियन एक्सप्रेस. (23 अगस्त, 2021). Explained: The Political and Administrative Impact of Kalyan Singh's 1991–92 Tenure.
19. द प्रिंट. (22 अगस्त, 2021). Kalyan Singh, the Teacher-Politician Who Tried to Fix UP's 'Cheating' Schools.



Kavya Setu

A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal

Impact Factor: 7.2

ISSN No: 3049-4176

20. आउटलुक इंडिया. (अगस्त, 2021). Kalyan Singh: The Mascot of Cultural Nationalism in Uttar Pradesh.
21. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी). (2005). राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा-2005 (National Curriculum Framework). नई दिल्ली।
22. उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार. (1991-1993). Administrative Reports on Secondary Education. लखनऊ।